32

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

[विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा-देश भर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता से संबंधित छब्बीसवें प्रतिवेदन (17 वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, ***2022***/अग्रहायण, ***1944*** (शक)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)
(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

[विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा - देश-भर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता विषय संबंधी छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

20/12/2022 - को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

20/12/2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण,1944 (शक)

सीओई सं. 361

मूल्यः रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2022-23) की संरचना		
प्राक्कथन		
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय पाँच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	
परिशिष्ट		
एक	समिति की 15 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना
सदस्य
लोक सभा

श्री जगदम्बिका पाल - सभापति

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
4. श्री प्रदीप कुमार चौधरी*
5. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
6. श्री हरीश द्विवेदी
7. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
8. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
9. श्री किशन कपूर
10. श्री सुनील कुमार मंडल
11. श्री अशोक महादेवराव नेते
12. श्री प्रवीन कुमार निषाद
13. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल
14. श्री जय प्रकाश
15. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
16. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
18. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री पी. वेलुसामी

राज्य सभा

22. श्री राजेन्द्र गहलोत
23. श्री नारायण दास गुप्ता
24. श्री जावेद अली खान
25. श्री मुजीबुल्ला खान
26. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
27. श्री कृष्ण लाल पंवार
28. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार

---

* दिनांक 04.11.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए।

29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. श्री के.टी.एस. तुलसी
31. रिक्त

सचिवालय

1. डॉ. राम राज राय - संयुक्त सचिव
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन - निदेशक
2. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
3. श्री मनीष कुमार - समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा - देश-भर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता' विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यह 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. 26वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 02 अगस्त, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 25 अक्तूबर, 2022 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 15 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट–दो में दिया गया है ।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;
दिसंबर, 2022
अग्रहायण, 1944 (शक)

जगदम्बिका पाल
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

ऊर्जा पर स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा - देशभर में प्रशुल्क संरचना में एकरूपता की आवश्यकता' विषय से संबंधित छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

2. छब्बीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 2 अगस्त, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 12 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थी।

3. छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर 25 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुए। इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

i. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्रम सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 और 12

कुल – 11

अध्याय - दो

ii. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

क्रम सं. शून्य

कुल - 00

अध्याय - तीन

iii. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

क्रम सं. 10

कुल - 01

अध्याय - चार

iv. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है:

क्रम सं. शून्य

कुल - 00

अध्याय - पांच

4. समिति यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई कार्रवाई का विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर समिति को भेज दिया जाए ।

5. अब समिति सरकार द्वारा उनकी कतिपय टिप्पणियों/सिफारिशों जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है, पर की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी ।

<u>प्रशुल्क का युक्तिकरण</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 1)

6. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नानुसार सिफारिश/टिप्पणियाँ की है:

"समिति यह नोट करती है कि भारत में, बिजली भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची तीन में प्रविष्टि संख्या 38 पर संविधान की समवर्ती सूची के तहत है और केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रशासित है। वर्तमान में विद्युत अधिनियम, 2003 भारतीय विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून है। विद्युत अधिनियम, 2003 केन्द्र सरकार को संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आधार पर विद्युत प्रणाली के विकास के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति को प्रकाशित करने का प्रावधान करता है। प्रशुल्क नीति का उद्देश्य प्रशुल्क निर्धारण में विनियामकों को मार्गदर्शन प्रदान करना है।समिति का इरादा बिजली की दरों को न केवल देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वहनीय बनाने का है बल्कि बिजली प्रशुल्क की प्रणाली को सरल,पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का भी है।

समिति का कहना है कि उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति की लागत में मुख्य रूप से उत्पादन, पारेषण और वितरण लागत शामिल है। समिति यह भी नोट करती है कि विद्युत संयंत्रों की उत्पादन लागत के साथसाथ उनके स्रोत-, ईधन, स्थान आदि के आधार पर उनकी स्थापना लागत में काफी भिन्नता है। डिस्कॉम्स ने नवीकरणीय खरीद दायित्व निश्चित) जैसे अपनी मांग और विनियमन दायित्वों के अनुसार विभिन्न दरों (आरपीओ) पर कई बिजली उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद (और परिवर्तनीय लागत किए हैं। इसलि (पीपीए) करारए, डिस्कॉम द्वारा विद्युत खरीद लागत में बहुत भिन्नता होती है। इसके अलावा, विद्युत के पारेषण के लिए वर्तमान तंत्र अर्थात प्वाइंट ऑफ कनेक्शन प्रभारों में दूरी (पीओसी), दिशा और मात्रा के अंतर्निहित विचारों के कारण विभिन्न इंजेक्शन/आहरण बिंदुओं के लिए प्रभार भिन्न होते हैं। तत्पश्चात्, किसी भी डिस्कॉम की आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) पर पहुंचने के लिए विद्युत खरीद लागत में ओएंडएम व्यय, एटीएंडसी हानियों और अन्य प्रभारों को जोड़ा जाता है।समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि वितरण स्तर पर चूंकि विद्युत समवर्ती विषय है, इसलिए राज्यों को अपने उपभोक्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और राज्य

सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की श्रेणियों में प्रशुल्क का निर्णय लेने का अधिकार है। हाशिए पर पड़े/गरीब उपभोक्ताओं को कम विद्युत प्रशुल्क प्रदान करने की दृष्टि से राज्य एक उपकरण के रूप में क्रॉस-सब्सिडी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रशुल्क श्रेणियां/स्लैब बनाए हैं, कुछ मामलों में यह संख्या 93 तक है।

अतः समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्तमान विद्युत प्रशुल्क संरचना बहुत जटिल और विविध है क्योंकि इस प्रकार विद्युत प्रशुल्क के विभिन्न प्रमुख घटकों को युक्तिसंगत बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। समिति यह भी समझती है कि वर्तमान में या एक ही बार में देश भर में एक समान प्रशुल्क लगाना बहुत कठिन होगा। तथापि, समिति का मत है कि मंत्रालय को प्रशुल्क ढांचे युक्तिसंगत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि यह विषय संविधानों की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, केन्द्र सरकार को इस संबंध में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना-चाहिए ताकि इस वांछित लक्ष्य को किसी भी बिंदु पर बिना किसी नुकसान के प्राप्त किया जा सके।"

7. मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया है:

"विद्युत अधिनियम, 2003 तथा प्रशुल्क नीति के प्रावधानों के अनुसार समुचित आयोग द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (3) में यह प्रावधान है कि समुचित आयोग , इस अधिनियम के अधीन टैरिफ का अवधारण करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधिमान दर्शित नहीं करेगा किंतु उपभोक्ता के भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टता और किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत या वह समय जिसमें प्रदाय अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति , प्रदाय की प्रकृति और वह प्रयोजन जिसके लिए प्रदाय अपेक्षित है, के अनुसार भेद कर सकेगा। तदनुसार, राज्य आयोगों द्वारा खुदरा प्रशुल्क निर्धारित किए जाते हैं।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 (छ) में यह प्रावधान है कि समुचित आयोग इस उद्देश्य से निर्देशित होगा कि टैरिफ क्रमिक रूप से विद्युत प्रदाय की लागत को प्रतिबिंबित करता है राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उस सीमा तक सब्सिडी दे सकती हैं, जहां तक वे उपयुक्त समझती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों को इसके लिए डिस्कॉमों को मुआवजा देने की आवश्यकता होती है।

सरकार पावर एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। पावर एक्सचेंजों के लिए दिन के किसी विशिष्ट समय ब्लॉक के लिए एक समान प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, इस सीमा तक, पावर एक्सचेंजों से वितरण यूटिलिटियों द्वारा खरीदी गई विद्युत के लिए, बाजार बंटवारे के मामले को छोड़कर, विद्युत की कीमत एक समान रहती है।प्रस्तावित बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) तंत्र पूरे देश में एक समान मूल्य की दिशा में एक कदम है।सीईआरसी द्वारा एमबीईडी के चरण -1 का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सरकार द्वारा प्रशुल्क संरचना के सरलीकरण तथा युक्तिकरण की आवश्यकता को मान्यता दी गई है।प्रशुल्क संरचना को सरल बनाने के लिए, संशोधित प्रारूप प्रशुल्क नीति में, निम्नलिखित प्रस्तावित हैं, जिन पर वर्तमान में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है:

क) विद्युत की कीमत विद्युत की आपूर्ति की लागत पर आधारित होनी चाहिए जो मुख्य रूप से आपूर्ति की वोल्टेज, इससे जुड़े भार और खपत की गई ऊर्जा पर निर्भर करती है।

ख) अस्थायी आपूर्ति के लिए कोई व्यक्तिगत श्रेणी/उपश्रेणी निर्धारित नहीं की जाएगी। ऐसी आपूर्ति उस श्रेणी के लिए आपूर्ति की लागत के निश्चित गुणक पर प्रदान की जा सकती है।

ग) प्रशुल्क में निश्चित प्रभार घटक को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की राजस्व आवश्यकता में निश्चित लागत के वास्तविक हिस्से को उत्तरोत्तर दर्शाया जाना चाहिए।

घ) सरलीकृत वर्गीकरण प्राप्त करने की दृष्टि से, मौजूदा श्रेणियों/उप-श्रेणियों तथा स्लैबों के विलय की प्रक्रिया उत्तरोत्तर की जाएगी।

ङ) इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है।

सभी राज्यों के साथ टैरिफ के युक्तिकरण पर समिति की रिपोर्ट भी साझा की गई थी। अधिनियम के अनुसार, राज्य आयोगों द्वारा टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना अनिवार्य है। राज्य आयोगों के बीच आम सहमति बनाने के लिए विनियामकों के मंच की भी आवश्यकता होती है।

8. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विद्युत मंत्रालय ने प्रशुल्क संरचना के सरलीकरण और युक्तिकरण की आवश्यकता को गंभीरता से स्वीकार किया है और प्रशुल्क संरचना को सरल बनाने के लिए संशोधित मसौदा प्रशुल्क नीति में कई प्रस्ताव हैं, जो वर्तमान में सरकार के विचाराधीन हैं। इसके अलावा, प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने संबंधी समिति की रिपोर्ट भी सभी राज्यों के साथ साझा की गई थी। समिति का यह भी मानना है कि इस संबंध में राज्य आयोगों के बीच आम सहमति बनाने में नियामकों के मंच की भूमिका महत्वपूर्ण है। समिति को आशा है कि मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रयोजनार्थ विनियामक मंच रूपी प्लैटफार्म का भी उपयोग करेगा और आम सहमति से संशोधित प्रशुल्क नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

<u>विद्युत खरीद समझौतें (पीपीए)</u>

(सिफारिश क्र. सं. 4)

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश/टिप्पणी की:

"समिति यह नोट करती है कि विद्युत अधिनियम, 2003 डिस्कॉम के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा वे उपभोक्ताओं की बिजली आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। समिति इस दृष्टिकोण से भी सहमत है कि ठेकों की पवित्रता बनाए रखना मुख्य स्तंभों में से एक है जो क्रेता और विक्रेता दोनों के विश्वास को आकर्षित करता है और इस क्षेत्र में निवेश लाने का आधार है। पीपीए पर फिर से बातचीत, जब तक कि अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय नहीं किया जाता है, वांछनीय नहीं है क्योंकि यह भविष्य में निवेश के प्रति प्रतिकूल संकेत देता है। समिति ने यह भी नोट किया है कि डिस्कॉम की लगभग 90% बिजली की मांग को दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के माध्यम से पूरा किया जाता है। पीपीए उत्पादक कंपनियों और लोड-सर्विंग संस्थाओं के बीच किया जाता है। पीपीए की प्रकृति वाणिज्यिक हैं और पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होने पर उन पर बाध्यकारी हैं। समिति को यह भी पता है कि किसी भी डिस्कॉम की लागत का बड़ा हिस्सा विद्युत खरीद लागत है और ऐसे राज्य/डिस्कॉम हैं जिन्होंने वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत अधिक दरों पर पीपीए किए हैं और यह स्थिति उनके वित्तीय निष्पादन पर बहुत दबाव डाल रही है। समिति के विचारों में यदि इसे युक्तिसंगत बनाया जाता है तो इससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए विद्युत प्रशुल्क को वहनीय बनाने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, देश भर में एक समान विद्युत प्रशुल्क रखने के लिए राज्यों को विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ दीर्घावधि पीपीए समाप्त करना होगा। इसलिए समिति की इच्छा है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो पीपीए की समीक्षा करने/इस पर पुनः बातचीत का प्रावधान होना चाहिए। आगे समिति यह भी चाहती है धीरे-धीरे जब भी पीपीए समाप्त हों तो उनकी पूलिंग की जाए। केन्द्र सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पणधारकों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि किसी एक पक्ष को लाभ और दूसरे को हानि होने की बजाय यह संबंधित पक्षों के लिए लाभकारी स्थिति बन जाए।"

10. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"विद्युत मंत्रालय ने पहले ही राज्य सरकारों को यह सूचित करते हुए एडवायजरी जारी कर दी है कि कानून द्वारा स्थापित स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एक बार इस प्रकार का बाध्यकारी अनुबंध हो जाने के बाद, कोई भी पक्ष आपस में पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंध की शर्तों से न तो इंकार कर

सकता है और न ही माननीय न्यायालय शर्तों में कोई परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी सलाह दी गई थी कि उपयुक्त आयोग को समाप्त हो चुके अनुबंधों/पीपीए की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त निर्धारित सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए, जो अनिवार्य रूप से, भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने की नींव है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि किसी भी अनुबंध में सामान्यतः आपसी समझौते के अध्यधीन इसमें संशोधन करने का प्रावधान होता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और देश में उत्पादन संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पीपीए की अवधि पूरी होने पर, राज्यों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के साथ हुए पीपीए से बाहर निकलने का विकल्प दिया गया था। उत्पादकों को इस विद्युत को बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इन दिशानिर्देशों से वितरण कंपनी पर क्षमता का उपयोग किए बिना भी निश्चित प्रभारों के भुगतान की बाध्यता को समाप्त करने से वित्तीय बोझ कम होगा तथा उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए बाजार में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि होगी। यह कदम पीपीए की छोटी शर्तों की ओर पारगमन के अनुरूप है और इससे विद्युत बाजार के विकास में एक नए युग की शुरुआत होगी।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय में 25 साल पूरे करने वाले उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की पूलिंग संबंधी स्कीम विचाराधीन है। प्रस्तावित स्कीम से डिस्कॉमो को निश्चितलागत देयता में कमी करने के मामले में लाभ होगा तथा साथ ही विद्युत संयंत्रों के बेहतर उपयोग और मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड में अधिक विद्युत की उपलब्धता सुकर होगी। मॉडल विद्युत क्रय करार में संशोधन विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन है, जिसमें लंबी अवधि के कार्यकाल को 25 साल से घटाकर 12-15 साल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमो को अपनी आवश्यकता के आधार पर दीर्घ, मध्यम और छोटी अवधि के अनुबंधों का विवेकपूर्ण मिश्रण करने का भी प्रयास करना चाहिए।

भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने तथा उपभोक्ताओं को विद्युत लागत में परिणामी कमी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) सरकार ने मई, 2016 में अपने सबसे दक्ष संयंत्रों को अधिक कोयला आवंटित करके तथा साथ ही परिवहन लागत में बचत करके विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए अपने उत्पादन स्टेशनों के बीच राज्य/केंद्रीय जेनकोस द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने की अनुमति दी। राज्य अपने लिंकेज कोयले को बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए आईपीपी को भी स्थानांतरित कर सकते हैं और उसके बराबर विद्युत ले सकते हैं।

(ii) परिवहन लागत के अनुकूलन की दृष्टि से राज्य/केंद्रीय जेनकोस और आईपीपीज के लिंकेज स्रोतों के युक्तिकरण की अनुमति दी गई है।

(iii) सरकार ने विद्युत संयंत्रों, जिनके पास लिंकेज नहीं हैं, को कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया)-2017 स्कीम की शुरूआत की है, जिससे उत्पादक को सस्ता कोयला प्राप्त करने में मदद मिलती है और इस तरह उत्पादन की लागत में कमी आती है।

(iv) अंतर-राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के लिए एक मेरिट ऑर्डर प्रेषण प्रणाली स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत और अधिक दक्ष/कम लागत वाले संयंत्र से विद्युत भेजी जाती है।"

11. समिति ने पाया कि जैसा कि इसने इच्छा व्यक्त की थी कि विद्युत पूलिंग की आवश्यकता महसूस की गई है और 25 वर्ष पूरे करने वाले उत्पादन स्टेशनों से विद्युत पूलिंग की एक योजना विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही, मॉडल विद्युत खरीद करार में संशोधन भी विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है, जिसमें दीर्घावधि की समयसीमा को 25 वर्ष से घटाकर 12-15 वर्ष कर दिया जाएगा। समिति का मानना है कि ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, क्योंकि इससे डिस्कॉम को उनकी निश्चित लागत देयता में कमी लाने में लाभकारी होगा और साथ ही, बिजली संयंत्रों के इष्टतम उपयोग की सुविधा होगी और मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड में अधिक बिजली भी उपलब्ध होगी। इसलिए, समिति उम्मीद करती है कि मंत्रालय उत्पादकों और डिस्कॉम की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में प्रस्तावों को शीघ्रता से अंतिम रूप देगा।

<u>पावर एक्सचेंज</u>

(**सिफारिश क्र. सं. 5)**

12. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश/टिप्पणी की:
"समिति यह पाती है कि देश में पावर एक्सचेंजों से देश भर में एक समान प्रशुल्क होने की संभावना बढ़ जाती है। समिति का यह भी मत है कि प्रतिस्पर्धा के एक नए युग की शुरुआत करने और विभिन्न स्रोतों के विद्युत उत्पादन के विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए, विद्युत एक्सचेंजों की एक कुशल, तटस्थ और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता होगी। तथापि, साथ ही, समिति यह भी पाती है कि वर्तमान में विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से अधिगृहीत विद्युत देश में उत्पादित कुल विद्युत के 5% से भी कम है जो अल्पावधि में डिस्कॉम की विद्युत मांग को पूरा करती है। समिति इस विचार से भी सहमत है कि कारोबार की जा रही बिजली की कीमत हर समय औसत बिजली खरीद लागत से सस्ती नहीं है। कई बार, उत्पादन स्टेशनों द्वारा हताशा में बोली लगाई जाती है ताकि संयंत्र को न्यूनतम तकनीकी पर चालू रखा जा सके, इसलिए, इसमें दर सही संकेतक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, आमतौर पर यह देखा जाता है कि मानसून और न्यून मांग अवधि के अलावा, पावर एक्सचेंजों में दर समग्र खरीद मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। इसके अलावा, विद्युत विनिमय मूल्य क्षेत्रीय परिधि पर निर्धारित किए जाते हैं और इसलिए, पारेषण की लागत को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

विस्तृत चर्चा के दौरान, समिति ने पाया है कि अधिकांश हितधारक पावर एक्सचेंजों के माध्यम से उचित तरीके से मूल्य की खोज के विचार के विरुद्ध नहीं हैं। समिति यह भी पाती है कि चूंकि डिस्कॉम की अधिकांश विद्युत मांगें दीर्घावधि पीपीए से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पावर एक्सचेंजों के व्यापारिक खंडों में और वृद्धि की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि, एक बार यदि उपयोगिताओं को दीर्घकालिक पीपीए की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया जाता है तो भविष्य में बिजली एक्सचेंज एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में पावर एक्सचेंज प्रणाली इस तरह से विकसित हो जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले जिससे विद्युत प्रणाली की समग्र दक्षता में वृद्धि हो। वे यह भी चाहते हैं कि इस संबंध में किसी भी एकाधिकार को खारिज करने के लिए पर्याप्त संख्या में पावर एक्सचेंज होने चाहिए। इसके अलावा, बिजली एक्सचेंजों में किसी भी तरह के खेल या कदाचार से बचने के लिए कड़े विनियमन

और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, जो उपभोक्ता हित के लिए हानिकारक होगा।"

13. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:

"विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 में विद्युत बाजार के विकास का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने विद्युत बाज़ार विनियमों के माध्यम से पावर एक्सचेंजों के प्रचालन के लिए एक सक्षम कार्यढांचा तैयार किया। इससे पहले, देश में आईईएक्स (इंडियन एनर्जी एक्सचेंज) और पीएक्सआईएल (पॉवर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) नामक दो पावर एक्सचेंज थे। विद्युत बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सीईआरसी ने अपने दिनांक 12.05.2021 के आदेश के माध्यम से भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एचपीएक्स) का पंजीकरण किया। एचपीएक्स ने दिनांक 06.07.2022 से प्रचालन शुरू कर दिया है। आज की तारीख में कार्यशील पावर एक्सचेंजों में आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स शामिल हैं। विद्युत बाजार विनियम, 2021 में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं कि पावर एक्सचेंज निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करें।

खरीददार और विक्रेता टर्म-अहेड मार्केट, डे-अहेड मार्केट और रीयल-टाइम मार्केट खंड में उपलब्ध उत्पादों के साथ अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक विशेष पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चुनते हैं। बाजार की अखंडता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार निष्पक्ष तथा दक्ष है, बाजार की निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय आयोग ने हमेशा पावर एक्सचेंजों के कार्यकरण में पारदर्शिता को महत्व दिया है। विद्युत बाजार विनियमों में यह निहित है कि एक पावर एक्सचेंज निष्पक्ष, तटस्थ, दक्ष तथा मजबूत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। पावर एक्सचेंजों को विनियमों के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित है तथा उनके अनुपालन की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। केंद्रीय आयोग का बाजार निगरानी प्रकोष्ठ (एमएमसी), अपनी मासिक तथा वार्षिक बाजार निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से, नियमित अंतराल पर पावर एक्सचेंजों सहित बाजार के प्रचालन की निगरानी कर रहा है।

चूंकि पावर एक्सचेंज केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की निगरानी में कार्य करते हैं तथा पावर एक्सचेंजों पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के उत्पादों के अंतर्गत

अधिकतर मात्रा को दो तरफा बोली के जरिए स्वीकृत किया जाता है, पावर एक्सचेंजों की संख्या कम करना चिंता का विषय नहीं है। वास्तव में, सीईआरसी ने, अपने बाजार विनियमों में, पावर एक्सचेंजों के युग्मन की संभावना को शामिल किया है ताकि सभी पावर एक्सचेंजों में एक कीमत निर्धारित की जा सके।

जी-डैम तथा जी-टीएएम जैसे नए उत्पादों को पावर एक्सचेंजों में ग्रीन बाजार को गहरा करने और प्रतिस्पर्धी मूल्य संकेत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, इसके साथ-साथ यह बाजार सहभागियों को हरित ऊर्जा में सबसे पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है।

बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) के कार्यान्वयन तथा उत्पादन स्टेशनों के 25 वर्ष पूरे होने के बाद विद्युत की पूलिंग के लिए प्रस्तावित स्कीमें पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संवर्धित लेनदेन की सुविधा प्रदान करेंगे।

देश में विद्युत बाजार के विकास के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।"

14. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एचपीएक्स), भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज ने दिनांक 06.07.2022 से प्रचालन शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने आगे बताया है कि बाजार प्रतिभागियों को सबसे पारदर्शी, लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से हरित ऊर्जा में व्यापार करने का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रीन मार्केट का विस्तार करने और प्रतिस्पर्धी मूल्य संकेतक प्रदान करने के लिए विद्युत एक्सचेंजों में जी-डीएएम और जी-टीएएम जैसे नए उत्पाद शुरू किए गए हैं। साथ ही देश में बिजली बाजार के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। फिर भी, समिति इस बात पर जोर देना चाहेगी कि रूपरेखा तैयार करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्युत एक्सचेंजों की प्रणाली इस तरह से विकसित हो कि यह विद्युत प्रणाली में संसाधनों के इष्टतम उपयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से सुविधाजनक बना सके। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र के वांछित विकास के लिए, सभी भागीदारों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

<u>विद्युत की पुलिंग</u>

(**सिफारिश क्र. सं. 6)**

15. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश/टिप्पणी की:

"समिति यह नोट करती है कि देश में कुल उत्पादन संस्थापित क्षमता 3,88,848 मेगावाट है, जबकि औसत पीक डिमांड लगभग 1,70,000 मेगावाट है। कोयला और लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्रों के संबंध में संयंत्र लोड फैक्टर वर्ष 2020-21 के दौरान 53.37% था। इसी अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे विद्युत संयंत्रों में 44.68% का पीएलएफ था। इससे उन विद्युत संयंत्रों के कम उपयोग की सीमा का पता चलता है। कुछ डिस्कॉम्स ने यह मुद्दा उठाया है कि चूंकि सौर दिन की बिजली है और इसकी 'चलते रहने' की स्थिति है; उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा को समायोजित करने के लिए पारंपरिक जनरेटर की कुछ बिजली का त्याग करना पड़ता है। इससे डिस्कॉम पर फिक्स्ड चार्ज का भुगतान किया जाता है। समिति यह भी नोट करती है कि विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए जा रहे आरपीओ प्रक्षेपवक्र का वितरण कंपनियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा समिति को इस बात की जानकारी है कि अधिष्ठापन के साथ-साथ विद्युत उत्पादन की लागत संयंत्र से संयंत्र और स्रोत से स्रोत तक बहुत भिन्न होती है। समिति को यह भी पता है कि चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा, जो रुक-रुक कर आती है, को ग्रिड की स्थिरता के लिए अन्य स्त्रोतों से विद्युत संतुलन की आवश्यकता होती है, अतः विद्युत की निरंतर आपूर्ति के लिए विद्युत की बंडलिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पनबिजली जैसे शक्ति के कुछ स्रोतों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है और इसे विकसित करना भी मुश्किल होता है; हालांकि, एक बार जब वे आरंभ हो जाएं और पूर्णतया अवमूलियत हो जाएं तो वे स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं।

इसलिए, समिति का मत है कि न केवल स्वच्छ, विश्वसनीय और वहनीय विद्युत प्राप्त करने के लिए बल्कि उत्पादन संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए भी विद्युत बास्केट का एक आदर्श मिश्रण होना चाहिए। समिति के विचार में यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है कि विद्युत क्षेत्र विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन का एक आदर्श मिश्रण रखते हुए वांछित तरीके से विकसित हो और संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी किया जाए। यह भी वांछनीय है कि लंबे समय में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतिक योजना होनी चाहिए। इसलिए समिति चाहती है कि सरकार को इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए कि ऊर्जा का एक आदर्श मिश्रण सुनिश्चित

करने और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एकसमान दर पर बिजली प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर विद्युत की पूलिंग कैसे की जा सकती है और इसे किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

समिति ने नोट किया है कि अब तक 'सिक्योरिटी कंस्ट्रेंड इकोनॉमिक डिस्पैच' के माध्यम से लोड डिस्पैच केन्द्रों द्वारा विद्युत के 'मेरिट ऑर्डर डिस्पैच' ने देश भर में उत्पादन के इष्टतमीकरण का संकेत दिया है जिससे उत्पादन लागत में कमी आई है। समिति ने यह भी नोट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत को कम करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार सीमित पैमाने पर 01.04.2022 से 'मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच' (एमबीईडी) के कार्यान्वयन की योजना बना रही है। समिति समझती है कि यह उस समय स्लॉट में सभी खरीदारों के लिए एक निश्चित समय स्लॉट में एक एकल मूल्य सुनिश्चित करेगा और एक राष्ट्र-एक टैरिफ की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा। समिति को आशा है कि एमबीईडी निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर में सबसे सस्ते संसाधनों को समग्र प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए और वार्षिक बचत करने के लिए भेजा जाए और यह इच्छा व्यक्त करती है कि यदि यह तंत्र प्रभावी साबित होता है, तो इसमें अन्य सभी बिजली उत्पादक कंपनियों को शामिल करके इसे और अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा समिति यह भी चाहती है कि इस तरह के तंत्र से होने वाले लाभ को अधिकतम करने के लिए ईंधन आबंटन को संयंत्र दक्षता और पिट हेड संयंत्रों के इष्टतम उपयोग के आधार पर सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।"

16. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:

"अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर तथा सबसे कम लागत वाली विद्युत खरीद सुनिश्चित करने के लिए संसाधन पर्याप्तता (आरए) कार्यढांचे की आवश्यकता है। संसाधन पर्याप्तता का उद्देश्य बेहतर उत्पादन मिश्रण के साथ भार की पूर्ति के लिए निर्दिष्ट विश्वसनीयता मानकों के अनुपालन में अनुमानित मांग को विश्वसनीय रूप से पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर वर्तमान में ध्यान केन्द्रित करते हुए, आरए कार्यढांचे को, अन्य बातों के साथ-साथ, लचीले संसाधनों के लिए, ऊर्जा परिवर्तन के लिए भंडारण प्रणालियों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की सविरामता और

परिवर्तनशीलता के प्रबंधन के लिए मांग प्रतिक्रिया उपायों की आवश्यकता को ध्यान में रखना अपेक्षित है।केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण देश के लिए संसाधन पर्याप्तता दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।

सीईआरसी ने प्रारूप संशोधन भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) प्रकाशित किया है जो संसाधन पर्याप्तता आयोजना भी प्रदान करता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने "वर्ष 2029-30 के लिए बेहतर उत्पादन क्षमता मिश्रण अध्ययन" किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य न्यूनतम लागत की बेहतर विद्युत उत्पादन क्षमता मिश्रण का पता लगाना है, जिसकी आवश्यकता वर्ष 2029-30 तक विद्युत की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए हो सकती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसरण में एक राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करने और पांच वर्ष में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।जैसा कि अधिनियम और नीति द्वारा अधिदेशित किया गया है, सीईए ने वर्ष 2017-22 के दौरान क्षमता वृद्धि की समीक्षा, वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए अल्पकालिक विस्तृत योजना एवं वर्ष 2027-32 की अवधि के लिए संदर्श योजना को शामिल करते हुए चौथा प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार की है।

उपभोक्ताओं की विद्युत व्यय की लागत को कम करने के लिए वर्तमान बाजार तंत्र को फिर से डिजाइन करने के उद्देश्य से, बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) के चरण 1 के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा, जिसमें केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों द्वारा भागीदारी की अनिवार्यता और अन्य उत्पादक द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। सीईआरसी द्वारा एमबीईडी का चरण-**1** कार्यान्वित किया जा रहा है।

सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) संबंधी संचालन को सीईआरसी द्वारा दिनांक 31 मार्च,2022 के अपने आदेश के द्वारा अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एससीईडीके प्रचालन के परिणामस्वरूप अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2022 तक उत्पादन लागत में 2255 करोड़ रुपये की कमी आई है।

17 समिति के लिए संतोष की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बाध्य आर्थिक डिस्पैच (एससीईडी) के संचालन के परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 में इसकी

स्थापना से जुलाई 2022 तक उत्पादन लागत में 2,255 करोड़ रुपये की कमी आई है। समिति इस तथ्य की भी सराहना करती है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण देश के लिए संसाधन पर्याप्तता दिशानिर्देश तैयार कर रहा है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ इष्टतम और कम लागत वाली बिजली खरीद सुनिश्चित की जा सके। यद्यपि उत्पादन एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है, समिति का मानना है कि उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग न केवल बिजली व्यवस्था को मजबूत और कुशल बनाएगा बल्कि अंतिम उपभोक्ताओं के लिए बिजली को वहनीय बनाने में भी मदद करेगा। समिति की इच्छा के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश भर में सबसे सस्ते संसाधनों को समग्र प्रणाली की मांग को पूरा करने और वार्षिक बचत की सुविधा के लिए डिस्पैच किया जाए, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा बाजार आधारित आर्थिक डिस्पैच (एमबीईडी) के चरण- I को लागू किया जा रहा है जिसमें केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों द्वारा अनिवार्य और अन्य उत्पादकों द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी होती है और समिति आशा करती है कि समिति को इस संबंध में प्रयासों, परिणामों और भविष्य की योजना के बारे में अवगत कराया जाएगा।

<u>कृषि फीडर पृथक्करण</u>

(सिफारिश क्रम संख्या 10)

18. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति ने ध्यान दिया कि फीडर पृथक्करण 24x7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने और डिस्कॉम/विद्युत विभागों में एटीएंडसी हानि में सुधार करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समिति को इस बात की जानकारी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करने के लिए एक घटक है। फीडर पृथक्करण में मुख्य रूप से मौजूदा मिश्रित श्रेणी के फीडरों (जो कृषि उपभोक्ताओं सहित सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करते हैं) को कृषि और गैर-कृषि फीडरों में अलग करना शामिल है।

देश में फीडर पृथक्करण की स्थिति के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगभग 1,64,057 ग्रामीण फीडर हैं। इनमें से कुल 62,193 फीडर **(**3791%) कृषि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 31.12.2021 की स्थिति

के अनुसार चल रही डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत 4,697 फीडरों को अलग किया गया है। ये कृषि फीडर मुख्य रूप से कृषि उपभोक्ताओं के साथ अलग-अलग फीडर हैं। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के तहत 166 फीडर की शेष राशि है जो सुलह के अधीन हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि फीडरों का पृथक्करण राज्यों/डिस्कॉम द्वारा की जाने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। समिति ने पाया कि फीडरों के पृथक्करण से डिस्कॉम्स को घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली बाधित किए बिना कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करने में सुविधा होगी। इसलिए, समिति का विचार है कि इस प्रणाली से उपभोक्ताओं के साथ-साथ डिस्कॉम्स को भी लाभ होगा क्योंकि कृषि क्षेत्र को सहायक दर पर बिजली मिल सकती है और राज्य सरकारें/डिस्कॉम्स मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) का सहारा लेकर अपनी विद्युत अधिप्राप्ति लागत को युक्तिसंगत बना सकती हैं। इसलिए, समिति सरकार से यह सिफारिश करती है कि वह फीडर पृथक्करण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य की मात्रा का आकलन करने के लिए राज्य के साथ सक्रिय रूप से जुड़े, लागत-लाभ विश्लेषण करके उन्हें इसे शीघ्रता से निष्पादित करने हेतु और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करे।"

19. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया है:

"भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में पूरे देश में कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं और गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरूआत की। 1,12,754.67 **(**सीकेएम) को शामिल करने वाले फीडर पृथक्करण कार्यों सहित कार्य पूरे हो चुके हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, 208,522**(**सीकेएम) को शामिल करने वाले कृषि फीडर पृथक्करण कार्य पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। जब भी राज्य और उनके डिस्कॉम विद्युत मंत्रालय को अपनी डीपीआर प्रस्तुत करेंगे, तब और अधिक फीडर पृथक्करण कार्यों को मंजूरी

दी जाएगी। इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संचारयोग्य स्मार्ट फीडर मीटरों का उपयोग करके सभी कृषि फीडरों में मीटर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, यह भी उल्लेख किया गया है कि आरडीएसएस के अंतर्गत, कुसुम स्कीम के साथ-साथयह भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कृषि फीडरों के एक बार पृथक्करण के बाद, उन्हें भी सौरीकृत किया जाएगा, जो कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत पर राज्यों के सब्सिडी के बोझ को कम करने में मदद करेगा।"

20. फीडर पृथक्करण के लाभों को पहचानते हुए समिति ने विशेष रूप से सरकार को सिफारिश की थी कि वह कार्य जिसे करने की आवश्यकता है, की मात्रा का आकलन करने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से कार्यवाही करे । मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि 2,08,522 सीकेएम को कवर करने वाले फीडर पृथक्करण कार्यों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि, फीडर सेपरेशन से संबंधित शेष कार्य के किसी भी आकलन या इस संबंध में किए जा रहे किसी भी प्रयास के बारे में उत्तर में मौन साध लिया गया है। समिति का विचार है कि किए जाने वाले कार्य की निर्धारित मात्रा के अभाव में, इसका शीघ्र और समयबद्ध निष्पादन बहुत कठिन होगा। इसलिए, समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है। समिति का मानना है कि मंत्रालय इस संबंध में अंतिम उत्तर प्रस्तुत करते समय संबंधित राज्यों के साथ चर्चा करके कम से कम अनुमानित रूप से संबंधित डेटा प्रदान करेगा।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

समिति यह नोट करती है कि भारत में बिजली भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची तीन में प्रविष्टि संख्या 38 पर संविधान की समवर्ती सूची के तहत है और केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रशासित है। वर्तमान में विद्युत अधिनियम, 2003 भारतीय विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून है। विद्युत अधिनियम, 2003 केन्द्र सरकार को संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आधार पर विद्युत प्रणाली के विकास के लिए राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति को प्रकाशित करने का प्रावधान करता है। प्रशुल्क नीति का उद्देश्य प्रशुल्क निर्धारण में विनियामकों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। समिति का इरादा बिजली की दरों को न केवल देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वहनीय बनाने का है बल्कि बिजली टैरिफ की प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का भी है।

समिति का कहना है कि उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति की लागत में मुख्य रूप से उत्पादन, पारेषण और वितरण लागत शामिल है। समिति यह भी नोट करती है कि विद्युत संयंत्रों की उत्पादन लागत के साथ-साथ उनके स्रोत, ईधन, स्थान आदि के आधार पर उनकी स्थापना लागत में काफी भिन्नता है। डिस्कॉम्स ने नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) जैसे अपनी मांग और विनियमन दायित्वों के अनुसार विभिन्न दरों (निश्चित और परिवर्तनीय लागत) पर कई बिजली उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद करार (पीपीए) किए हैं। इसलिए, डिस्कॉम द्वारा विद्युत खरीद लागत में बहुत भिन्नता होती है। इसके अलावा, विद्युत के पारेषण के लिए वर्तमान तंत्र अर्थात प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) प्रभारों में दूरी, दिशा और मात्रा के अंतर्निहित विचारों के कारण विभिन्न इंजेक्शन/आहरण बिंदुओं के लिए प्रभार भिन्न होते हैं। तत्पश्चात्, किसी भी डिस्कॉम की आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) पर पहुंचने के लिए विद्युत खरीद लागत में ओएंडएम व्यय, एटीएंडसी हानियों और अन्य प्रभारों को जोड़ा जाता है। समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि वितरण स्तर पर चूंकि विद्युत समवर्ती विषय है, इसलिए राज्यों को अपने उपभोक्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और राज्य सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की श्रेणियों में टैरिफ का निर्णय लेने का अधिकार है। हाशिए पर पड़े/गरीब उपभोक्ताओं को कम विद्युत प्रशुल्क प्रदान करने की दृष्टि से राज्य एक उपकरण के रूप में क्रॉस-सब्सिडी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रशुल्क श्रेणियां/स्लैब बनाए हैं जो कुछ मामलों में यह संख्या 93 तक है।

अतः समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्तमान विद्युत प्रशुल्क संरचना बहुत जटिल और विविध है क्योंकि इस प्रकार विद्युत प्रशुल्क के विभिन्न प्रमुख घटकों को युक्तिसंगत बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। समिति यह भी समझती है कि वर्तमान में या एक ही बार में देश भर में एक समान प्रशुल्क लगाना बहुत कठिन होगा। तथापि, समिति का मत है कि मंत्रालय को प्रशुल्क ढांचे युक्तिसंगत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि यह विषय संविधानों की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, केन्द्र सरकार को इस संबंध में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि इस वांछित लक्ष्य को किसी भी बिंदु पर बिना किसी नुकसान के प्राप्त किया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (3) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग , इस अधिनियम के अधीन टैरिफ का अवधारण करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधिमान दर्शिकत

नहीं करेगा किंतु उपभोक्ता के भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टता और किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत या वह समय जिसमें प्रदाय अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति , प्रदाय की प्रकृति और वह प्रयोजन जिसके लिए प्रदाय अपेक्षित है, के अनुसार भेद कर सकेगा। तदनुसार, राज्य आयोगों द्वारा खुदरा टैरिफ निर्धारित किए जाते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 (छ) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग इस उद्देश्य से निर्देशित होगा कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत प्रदाय की कुशल तथा विवेकपूर्ण लागत को प्रतिबिंबित करता है। राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उस सीमा तक सब्सिडी दे सकती हैं, जहां तक वे उपयुक्त समझती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों को इसके लिए डिस्कॉमों को मुआवजा देने की आवश्यकता होती है।

सरकार पावर एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। पावर एक्सचेंजों के लिए दिन के किसी विशिष्ट समय ब्लॉक के लिए एक समान टैरिफ निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, इस सीमा तक, पावर एक्सचेंजों से वितरण यूटिलिटियों द्वारा खरीदी गई विद्युत के लिए, बाजार बंटवारे के मामले को छोड़कर, विद्युत की कीमत एक समान रहती है। प्रस्तावित बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) तंत्र पूरे देश में एक समान मूल्य की दिशा में एक कदम है। सीईआरसी द्वारा एमबीईडी के चरण -1 का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सरकार द्वारा टैरिफ संरचना के सरलीकरण तथा युक्तिकरण की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। टैरिफ संरचना को सरल बनाने के लिए, संशोधित प्रारूप टैरिफ नीति में, निम्नलिखित प्रस्तावित हैं, जिन पर वर्तमान में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है:

क) विद्युत की कीमत विद्युत की आपूर्ति की लागत पर आधारित होनी चाहिए जो मुख्य रूप से आपूर्ति की वोल्टेज, इससे जुड़े भार और खपत की गई ऊर्जा पर निर्भर करती है।

ख) अस्थायी आपूर्ति के लिए कोई व्यक्तिगत श्रेणी/उपश्रेणी निर्धारित नहीं की जाएगी। ऐसी आपूर्ति उस श्रेणी के लिए आपूर्ति की लागत के निश्चित गुणक पर प्रदान की जा सकती है।

ग) टैरिफ में निश्चित प्रभार घटक को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की राजस्व आवश्यकता में निश्चित लागत के वास्तविक हिस्से को उत्तरोत्तर दर्शाया जाना चाहिए।

घ) सरलीकृत वर्गीकरण प्राप्त करने की दृष्टि से, मौजूदा श्रेणियों/उप-श्रेणियों तथा स्लैबों के विलय की प्रक्रिया उत्तरोत्तर की जाएगी।

ङ) इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है।

सभी राज्यों के साथ टैरिफ के युक्तिकरण पर समिति की रिपोर्ट भी साझा की गई थी। अधिनियम के अनुसार, राज्य आयोगों द्वारा टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना अनिवार्य है। राज्य आयोगों के बीच आम सहमति बनाने के लिए विनियामकों के मंच की भी आवश्यकता होती है।

[विद्युत मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन: 27/01/2022 - आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

समिति की टिप्पणियां
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 8 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 2)

समिति ने नोट किया कि टैरिफ नीति 2016 का फोकस 4 ई पर है: सभी के लिए बिजली, किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए दक्षता, एक स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण, निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार करने में आसानी। समिति ने पाया कि 'सभी के लिए बिजली' के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। वहनीय प्रशुल्कों को सुनिश्चित करने के लिए दक्षता के संबंध में समिति का विचार है कि इस संदर्भ में और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। देश की कुल संस्थापित क्षमता 3,88,848 मेगावाट है, जबकि अब तक अधिकतम मांग लगभग 2,00,000 मेगावाट रही है। वर्ष के दौरान देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ 53.37% था। ऐसे विद्युत संयंत्रों के कम उपयोग से डिस्कॉम द्वारा निर्धारित लागत का भुगतान किया जाता है जिसे अंतत अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाता है। देश में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में अभी भी लगभग 21 % की कमी है जिसे समयबद्ध तरीके से कम किए जाने की आवश्यकता है और उस पर प्राप्त लाभ को कम टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।

समिति को यह भी आशा है कि 'सतत भविष्य के लिए पर्यावरण' के मोर्चे पर, केंद्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करके और वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईमानदार प्रयास किए गए हैं। तथापि, यह भी सच है कि कोयला आधारित ताप विद्युत देश में विद्युत क्षेत्र का मुख्य आधार है और कम से कम वर्तमान दशक के दौरान भी ऐसा ही रहेगा। चूंकि देश में स्वदेशी कोयले की कोई कमी नहीं है, इसलिए समिति का विचार है कि सरकार का उद्देश्य कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विभिन्न हस्तक्षेपों द्वारा उनके उत्सर्जन को सीमित करके देश में कोयला आधारित ताप संयंत्रों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन विद्युत संयंत्रों को कोयले के स्त्रोत और आपूर्ति को और युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है ताकि उत्पादन लागत को कम किया जा सके। समिति का विचार है कि निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित

करने के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए सरकार द्वारा बहुत कुछ किया गया है, फिर भी, वितरण क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। वर्ष 2019-20 के लिए वितरण उपयोगिताओं का कुल नुकसान 74,914 करोड़ रुपये है। वर्ष 2018-19 के दौरान उदय अनुदान और नियामक आय के बिना उनका राजस्व अंतर 0.60 रुपये प्रति किलोवाट था।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को वर्तमान प्रशुल्क नीति में उपयुक्त संशोधन करने चाहिए ताकि यह न केवल बदले हुए परिदृश्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके बल्कि अपने अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सक्षम हो सके, विशेष रूप से वहनीय प्रशुल्क सुनिश्चित करने के लिए दक्षता के संबंध में वितरण क्षेत्र में उत्पादन लागत और वित्तीय व्यवहार्यता को कम करने के लिए युक्तिसंगत बनाया जा सके।

सरकार का उत्तर

टैरिफ नीति,2016 में पहले से ही यह प्रावधान है कि कुछ अपवादों को छोड़कर भविष्य में विद्युत तथा पारेषण सेवा की खरीद प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से की जाएगी। इससे अपने आप दक्षता आती है और टैरिफ में कमी होती है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार तथा संबंधित मामले) नियम, 2022 और विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 भी बनाए हैं जो उत्पादन तथा पारेषण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में भी सहायता करेंगे। जहां तक वितरण क्षेत्र का संबंध है, सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराउंड के लिए उदय की शुरुआत की थी।

सरकार ने देश में वित्तीय रूप से संधारणीय तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई,2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की घोषणा की है। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12-15% तक कम करना तथा वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है।

टैरिफ नीति को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

1) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रचालनों में दक्षता तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना;
2) क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना तथा निवेश आकर्षित करना;

3) हरित गतिविधि के रूप में नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना;

[विद्युत मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन: 27/01/2022 - आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

समिति यह नोट करती है कि प्रशुल्क नीति के अनुसार उत्पादन केन्द्रों से डिस्कॉम द्वारा मध्यावधि और दीर्घावधि ठेकों के अंतर्गत अधिगृहीत विद्युत के लिए नियत और परिवर्तनीय प्रभारों सहित दो-भाग प्रशुल्क संरचना को अपनाया गया है। नियत प्रभार पूंजी निवेश को प्रतिबिंबित करते हैं और पावर स्टेशन की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किए जाते हैं। परिवर्तनीय प्रभार बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन की लागत हैं। समिति का पाती है कि विभिन्न राज्य यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि विद्युत स्टेशनों का उपयोग न होने की स्थिति में उन्हें एक निश्चित लागत के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने यह मुद्दा उठाया है कि इक्विटी पर रिटर्न का 15.5 % बहुत अधिक है और यह वर्तमान कम ब्याज व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। समिति यह भी नोट करती है कि वितरण प्रशुल्क स्तर पर नियत लागत घटक को पूरी तरह से वसूल नहीं किया जा रहा है। समिति यह समझती है कि प्रशुल्क नीति का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य रूप से निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करके विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को आकर्षित करना है, फिर भी, वह यह भी मानती हैं कि यह बदले हुए परिदृश्य में भी अलग नहीं होना चाहिए। समिति यह समझती है कि विद्युत संयंत्र के नियत प्रभार घटक के संबंध में इससे कोई परहेज नहीं है, तथापि, वह चाहती हैं कि सरकार को ईमानदारी से मार्गों का पता लगाना चाहिए और उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने सहित डिस्कॉम पर अपने बोझ को कम करने के लिए समाधान निकालना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर:</u>

उपयुक्त आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ निर्धारण किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 (छ) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग इस उद्देश्य से निर्देशित होगा कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत की आपूर्ति की दक्ष और विवेकपूर्ण लागत को दर्शाता है।

केंद्रीय आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन संसाधन के अनुकूलन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) के संचालन की शुरुआत की है। इस संचालन के पीछे प्रमुख प्रेरण शक्ति अनुकूलन के क्षेत्र का पता लगाना है और इसलिए मौजूदा प्रणाली में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों के बिना प्रणाली लागत को कम करने की संभावना है। यह संचालन लाभार्थियों द्वारा अपने अंतिम संशोधन अर्थात विद्युत

के वास्तविक प्रेषण से पहले सात से आठ ब्लॉकों को प्रस्तुत करने के बाद, उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से संसाधन उत्पन्न करने संबंधी अंतःक्षेपण का अनुकूलन करता है। तकनीकी न्यूनतम, अधिकतम उत्पादन, रैंपिंग बाधाओं, पारेषण बाधाओं आदि जैसी तकनीकी बाधाओं में विधिवत लेन-देन के बाद सस्ता उत्पादन स्टेशन भेजकर मेरिट ऑर्डर बनाते हुए बेहतर उत्पादन हासिल किया गया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर इसे बेहतर प्रकार से निम्न परिवर्तनीय लागत पिटहेड उत्पादन को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है जबकि संचालन में भाग लेते हुए उच्चतर परिवर्तनीय लागत उत्पादन को कम किया जाता है। देश में 120 उत्पादन इकाइयों और लगभग 53,000 मेगावाट की क्षमता वाले लगभग 50 उत्पादन केंद्र संचालन में भाग ले रहे हैं। अब तक, इस संचालन के कार्यान्वयन के तीन साल से अधिक समय में यह पता चला है कि संचालन ने उत्पादकों के प्रचालनों को आसान बनाने में सहायता की है। अप्रैल, 2019 में अपनी संस्थापना के बाद से, एससीईडी ने उत्पादन की परिवर्तनीय लागत में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी की है।

तथ्य यह है कि वितरण स्तर पर, निश्चित लागत घटक खुदरा टैरिफ में परिलक्षित नहीं हो रहा है, को मान्यता दी गई है।

डिस्कॉमों का बोझ कम करने के लिए, सरकार सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धी बाजारों में इस मात्रा को बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, आरई विद्युत को पारंपरिक उत्पादन के साथ जोड़ने की स्कीम से लाभों के बंटवारे के कारण डिस्कॉमो के राजस्व व्यय में भी कमी आएगी। टैरिफ निर्धारण के लिए आरओई समुचित आयोगों के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए, जलविद्युत क्षेत्र के विकासकर्ता मामला दर मामला के आधार पर कम इक्विटी पर रिटर्न को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। डिस्कॉमों की निश्चित प्रभार देयता पीपीए के अंतर्गत संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न होती है जिसके भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तथापि, डिस्कॉम बेहतर संसाधन पर्याप्तता आयोजना बनाएं ताकि उन पर अतिरिक्त क्षमता प्रभारों का बोझ न पड़े।

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और देश में उत्पादन संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पीपीए की अवधि पूरी होने पर, राज्यों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के साथ हुए पीपीए से बाहर निकलने का विकल्प दिया गया था। उत्पादकों को इस विद्युत को बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इन दिशानिर्देशों से वितरण कंपनी पर क्षमता का उपयोग किए बिना भी निश्चित प्रभारों के भुगतान की बाध्यता को समाप्त करने से वित्तीय बोझ कम होगा तथा उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए बाजार में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि होगी। यह कदम पीपीए की निम्नतर शर्तों की ओर पारगमन के अनुरूप है और इससे विद्युत बाजार के विकास में एक नए युग की शुरुआत होगी।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम" अनुमोदित की है। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12-15% तक कम करना तथा वर्ष 2024-25 तक औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) अंतर को शून्य पर लाना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत, पात्र डिस्कॉमों को नेटवर्क के लिए वितरण अवसंरचना तथा स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के उन्नयन के साथ-साथ सुधारों की शुरुआत और परिणामों की उपलब्धि से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के उन्नयन के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कोई डिस्कॉम यदि घाटे में चल रहा है, तो इस स्कीम के अंतर्गत वह निधियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि वह घाटे को कम करने के लिए एक स्कीम तैयार नहीं करता, इस तरह की हानियों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों तथा इसकी समय सीमा को सूचीबद्ध नहीं करता और इस पर अपनी राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं करता तथा इसे केंद्र सरकार के पास दर्ज नहीं करता है।

[विद्युत मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन: 27/01/2022 - आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

समिति यह नोट करती है कि विद्युत अधिनियम, 2003 डिस्कॉम के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा वे उपभोक्ताओं की बिजली आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। समिति इस दृष्टिकोण से भी सहमत है कि ठेकों की पवित्रता बनाए रखना मुख्य स्तंभों में से एक है जो क्रेता और विक्रेता दोनों के विश्वास को आकर्षित करता है और इस क्षेत्र में निवेश लाने का आधार है। पीपीए पर फिर से बातचीत, जब तक कि अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय नहीं किया जाता है, वांछनीय नहीं है क्योंकि यह भविष्य में निवेश के प्रति प्रतिकूल संकेत देता है। समिति ने यह भी नोट किया है कि डिस्कॉम की लगभग 90% बिजली की मांग को दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) के माध्यम से पूरा किया जाता है। पीपीए उत्पादक कंपनियों और लोड-सर्विंग संस्थाओं के बीच किया जाता है। पीपीए की प्रकृति वाणिज्यिक हैं और पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होने पर उन पर बाध्यकारी हैं। समिति को यह भी पता है कि किसी भी डिस्कॉम की लागत का बड़ा हिस्सा विद्युत खरीद लागत है और ऐसे राज्य/डिस्कॉम हैं जिन्होंने वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत अधिक दरों पर पीपीए किए हैं और यह स्थिति उनके वित्तीय निष्पादन पर बहुत दबाव डाल रही है। समिति के विचारों में यदि इसे युक्तिसंगत बनाया जाता है तो इससे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए विद्युत प्रशुल्क को वहनीय बनाने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, देश भर में एक समान विद्युत प्रशुल्क रखने के लिए राज्यों को विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ दीर्घावधि पीपीए समाप्त होगा। इसलिए समिति की इच्छा है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो पीपीए की समीक्षा करने/इस पर पुनः बातचीत का प्रावधान होना चाहिए। आगे समिति

यह भी चाहती है धीरे-धीरे जब भी पीपीए समाप्त हों तो उनकी पूलिंग की जाए। केन्द्र सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पणधारकों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि किसी एक पक्ष को लाभ और दूसरे को हानि होने की बजाय यह संबंधित पक्षों के लिए लाभकारी स्थिति बन जाए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय ने पहले ही राज्य सरकारों को यह सूचित करते हुए एडवायजरी जारी कर दी है कि कानून द्वारा स्थापित स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एक बार इस प्रकार का बाध्यकारी अनुबंध हो जाने के बाद, कोई भी पक्ष आपस में पारस्परिक रूप से सहमत अनुबंध की शर्तों से न तो इंकार कर सकता है और न ही माननीय न्यायालय शर्तों में कोई परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी सलाह दी गई थी कि उपयुक्त आयोग को समाप्त हो चुके अनुबंधों/पीपीए की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त निर्धारित सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए, जो अनिवार्य रूप से, भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने की नींव है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि किसी भी अनुबंध में सामान्यतः आपसी समझौते के अध्यधीन इसमें संशोधन करने का प्रावधान होता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और देश में उत्पादन संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पीपीए की अवधि पूरी होने पर, राज्यों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के साथ हुए पीपीए से बाहर निकलने का विकल्प दिया गया था। उत्पादकों को इस विद्युत को बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इन दिशानिर्देशों से वितरण कंपनी पर क्षमता का उपयोग किए बिना भी निश्चित प्रभारों के भुगतान की बाध्यता को समाप्त करने से वित्तीय बोझ कम होगा तथा उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए बाजार में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि होगी। यह कदम पीपीए की छोटी शर्तों की ओर पारगमन के अनुरूप है और इससे विद्युत बाजार के विकास में एक नए युग की शुरुआत होगी।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय में 25 साल पूरे करने वाले उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की पूलिंग संबंधी स्कीम विचाराधीन है। प्रस्तावित स्कीम से डिस्कॉमो को निश्चित लागत देयता में कमी करने के मामले में लाभ होगा तथा साथ ही विद्युत संयंत्रों के बेहतर उपयोग और मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड में अधिक विद्युत की उपलब्धता सुकर होगी। मॉडल विद्युत क्रय करार में संशोधन विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन है, जिसमें लंबी अवधि के कार्यकाल को 25 साल से घटाकर 12-15 साल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमो को अपनी आवश्यकता के आधार पर दीर्घ, मध्यम और छोटी अवधि के अनुबंधों का विवेकपूर्ण मिश्रण करने का भी प्रयास करना चाहिए।

भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने तथा उपभोक्ताओं को विद्युत लागत में परिणामी कमी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) सरकार ने मई, 2016 में अपने सबसे दक्ष संयंत्रों को अधिक कोयला आवंटित करके तथा साथ ही परिवहन लागत में बचत करके विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए अपने उत्पादन स्टेशनों के बीच राज्य/केंद्रीय जेनकोस द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने की अनुमति दी। राज्य अपने लिंकेज कोयले को बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए आईपीपी को भी स्थानांतरित कर सकते हैं और उसके बराबर विद्युत ले सकते हैं।

(ii) परिवहन लागत के अनुकूलन की दृष्टि से राज्य/केंद्रीय जेनकोस और आईपीपीज के लिंकेज स्रोतों के युक्तिकरण की अनुमति दी गई है।

(iii) सरकार ने विद्युत संयंत्रों, जिनके पास लिंकेज नहीं हैं, को कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया)-2017 स्कीम की शुरूआत की है,जिससे उत्पादक को सस्ता कोयला प्राप्त करने में मदद मिलती है और इस तरह उत्पादन की लागत में कमी आती है।

(iv) अंतर-राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के लिए एक मेरिट ऑर्डर प्रेषण प्रणाली स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत और अधिक दक्ष/कम लागत वाले संयंत्र से विद्युत भेजी जाती है।

[विद्युत मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन: 27/01/2022 - आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

समिति की टिप्पणियां
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय- दो का पैरा संख्या 11 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

<u>पावर एक्सचेंज</u>

समिति यह पाती है कि देश में पावर एक्सचेंजों से देश भर में एक समान प्रशुल्क होने की संभावना बढ़ जाती है। समिति का यह भी मत है कि प्रतिस्पर्धा के एक नए युग की शुरुआत करने और विभिन्न स्रोतों के विद्युत उत्पादन के विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए, विद्युत एक्सचेंजों की एक कुशल, तटस्थ और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता होगी। तथापि, साथ ही, समिति यह भी पाती है कि वर्तमान में विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से अधिगृहीत विद्युत देश में उत्पादित कुल विद्युत के 5% से भी

कम है जो अल्पावधि में डिस्कॉम की विद्युत मांग को पूरा करती है। समिति इस विचार से भी सहमत है कि विनिमय की जा रही बिजली की कीमत हर समय औसत बिजली खरीद लागत से सस्ती नहीं होती। कई बार, उत्पादन स्टेशनों द्वारा हताशा में बोली लगाई जाती है ताकि संयंत्र को न्यूनतम तकनीक पर चालू रखा जा सके, इसलिए, इसमें दर सही संकेतक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, आमतौर पर यह देखा जाता है कि मानसून और न्यून मांग अवधि के अलावा, पावर एक्सचेंजों में दर समग्र खरीद मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। इसके अलावा, विद्युत विनिमय मूल्य क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं और इसलिए, पारेषण (ट्रांसमिशन) की लागत को नहीं दर्शाते हैं।

विस्तृत चर्चा के दौरान, समिति ने पाया है कि अधिकांश हितधारक पावर एक्सचेंजों के माध्यम से उचित तरीके से मूल्य निर्धारित करने के विचार के विरुद्ध नहीं हैं। समिति यह भी पाती है कि चूंकि डिस्कॉम की अधिकांश विद्युत मांगें दीर्घावधि पीपीए से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पावर एक्सचेंजों के व्यापार में और वृद्धि की संभवना बहुत कम है। हालांकि, एक बार यदि एक्सचेंज दीर्घकालिक पीपीए की प्रतिबद्धता से मुक्त हो जाते हैं तो भविष्य में बिजली एक्सचेंज एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में पावर एक्सचेंज प्रणाली इस तरह से विकसित हो जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और विद्युत प्रणाली की समग्र दक्षता में वृद्धि हो। समिति यह भी चाहती है कि इस संबंध में किसी भी एकाधिकार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में पावर एक्सचेंज होने चाहिए। इसके अलावा, बिजली एक्सचेंजों में किसी भी गेमिंग या कदाचार जो उपभोक्ता हित में हानिकारक हो, को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने और इन्हे सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 में विद्युत बाजार के विकास का प्रावधान है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने विद्युत बाज़ार विनियमों के माध्यम से पावर एक्सचेंजों के प्रचालन के लिए एक सक्षम कार्यढांचा तैयार किया है। इससे पहले,देश में आईईएक्स (इंडियन एनर्जी एक्सचेंज) और पीएक्सआईएल (पॉवर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) नामक दो पावर एक्सचेंज थे। विद्युत बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सीईआरसी ने अपने दिनांक 12.05.2021 के आदेश के माध्यम से भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एचपीएक्स) का पंजीकरण किया। एचपीएक्स ने दिनांक 06.07.2022 से प्रचालन शुरू कर दिया है। आज की तारीख में कार्यशील पावर एक्सचेंजों में आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स

शामिल हैं। विद्युत बाजार विनियम, 2021 में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं कि पावर एक्सचेंज निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करें।

खरीददार और विक्रेता टर्म-अहेड मार्केट, डे-अहेड मार्केट और रीयल-टाइम मार्केट में उपलब्ध उत्पादों की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक विशेष पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चुनते हैं। बाजार की एकबद्धता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार निष्पक्ष तथा दक्ष है, बाजार की निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय आयोग ने हमेशा पावर एक्सचेंजों के कार्यकरण में पारदर्शिता को महत्व दिया है। विद्युत बाजार विनियमों में यह निहित है कि एक पावर एक्सचेंज निष्पक्ष, तटस्थ, दक्ष तथा मजबूत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। पावर एक्सचेंजों द्वारा विनियमों के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित है तथा उनके द्वारा पालन की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। केंद्रीय आयोग का बाजार निगरानी प्रकोष्ठ (एमएमसी), अपनी मासिक तथा वार्षिक बाजार निगरानी रिपोर्ट के माध्यम से, नियमित अंतराल पर पावर एक्सचेंजों सहित बाजार के प्रचालन की निगरानी कर रहा है।

चूंकि पावर एक्सचेंज केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की निगरानी में कार्य करते हैं तथा पावर एक्सचेंजों पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के अधिकांश उत्पादों को दो तरफा बोली के जरिए स्वीकृत किया जाता है, पावर एक्सचेंजों की संख्या चिंता का विषय नहीं है। वास्तव में, सीईआरसी ने, अपने बाजार विनियमों में, पावर एक्सचेंजों के युग्मन की संभावना को शामिल किया है ताकि सभी पावर एक्सचेंजों में एक कीमत निर्धारित की जा सके।

जी-डीएएम तथा जी-टीएएम जैसे नए उत्पादों को पावर एक्सचेंजों में हरित बाजार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है, इसके साथ-साथ यह बाजार, सहभागियों को हरित ऊर्जा में पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है।

बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) के कार्यान्वयन तथा उत्पादन स्टेशनों के 25 वर्ष पूरे होने के बाद विद्युत की पूलिंग संबंधी प्रस्तावित योजना से पावर एक्सचेंजों के विनिमय में वृद्धि होगी।

देश में विद्युत बाजार के विकास के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

[विद्युत मंत्रालय, का. ज्ञा. सं. एफ सं. 27/01/2022-आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

समिति की टिप्पणियां
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 14 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

<u>केंद्रीय स्तर पर बिजली की पूलिंग</u>

समिति यह नोट करती है कि देश में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 3,88,848 मेगावाट है, जबकि औसत पीक डिमांड लगभग 1,70,000 मेगावाट है। कोयला और लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्रों के संबंध में संयंत्र लोड फैक्टर, वर्ष 2020-21 के दौरान 53.37% था। इसी अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे विद्युत संयंत्रों में 44.68% का पीएलएफ था। इससे उन विद्युत संयंत्रों के कम उपयोग का पता चलता है। कुछ डिस्कॉम्स ने यह मुद्दा उठाया है कि चूंकि सौर-ऊर्जा दिन की बिजली है और इसे हमेशा चालू रखना पड़ता है; उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा को समायोजित करने के लिए पारंपरिक जनरेटर की कुछ बिजली का त्याग करना पड़ता है। इससे डिस्कॉम को फिक्स्ड चार्ज का भुगतान करना पड़ता है। समिति यह भी नोट करती है कि विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए जा रहे आरपीओ लक्ष्य का वितरण कंपनियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा समिति को इस बात की जानकारी है कि स्थापना और विद्युत उत्पादन की लागत संयंत्र और स्रोत के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। समिति को यह भी पता है कि चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा, जो रुक-रुक कर आती है, को ग्रिड की स्थिरता के लिए अन्य स्त्रोतों से विद्युत संतुलन की आवश्यकता होती है, अतः विद्युत की निरंतर आपूर्ति के लिए विद्युत की बंडलिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पनबिजली जैसे शक्ति के कुछ स्रोतों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है और इसे विकसित करना भी मुश्किल होता है; हालांकि, एक बार जब वे आरंभ हो जाएं और पूर्णतया कार्यरत हो जाएं तो वे स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं।

इसलिए, समिति का मत है कि न केवल स्वच्छ, विश्वसनीय और वहनीय विद्युत प्राप्त करने के लिए बल्कि उत्पादन संसाधनों को अनुकूल करने के लिए भी विद्युत का एक आदर्श मिश्रण होना चाहिए। समिति के विचार में यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है कि विद्युत क्षेत्र विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन का एक आदर्श मिश्रण रखते हुए वांछित तरीके से विकसित हो और संसाधनों का इष्टतम

उपयोग भी किया जाए। यह भी वांछनीय है कि दीर्घ अवधि में लाभ प्राप्त करने के लिए कोई रणनीतिक योजना होनी चाहिए। इसलिए समिति चाहती है कि सरकार को इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो ऊर्जा का एक आदर्श मिश्रण सुनिश्चित करे और सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को एकसमान दर पर बिजली प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर विद्युत की पूलिंग कैसे की जाए इसपर विचार करे।

समिति ने नोट किया है कि अब तक 'सिक्योरिटी कंस्ट्रेंड इकोनॉमिक डिस्पैच' के माध्यम से लोड डिस्पैच केन्द्रों द्वारा विद्युत के 'मेरिट ऑर्डर डिस्पैच' ने देश भर में इष्टतम उत्पादन का संकेत दिया है जिससे उत्पादन लागत में कमी आई है। समिति ने यह भी नोट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत को कम करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार सीमित पैमाने पर 01.04.2022 से 'मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच' (एमबीईडी) के कार्यान्वयन की योजना बना रही है। समिति समझती है कि यह एक निश्चित अवधि में सभी खरीदारों के लिए एक एकल मूल्य सुनिश्चित करेगा और एक राष्ट्र-एक टैरिफ की दिशा में बढ़त हुआ एक कदम होगा। समिति को आशा है कि एमबीईडी निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर में सबसे सस्ते संसाधनों को समग्र प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए और वार्षिक बचत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और यह इच्छा व्यक्त करती है कि यदि यह तंत्र प्रभावी साबित होता है, तो इसमें अन्य सभी बिजली उत्पादक कंपनियों को शामिल करके इसे और अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा समिति यह भी चाहती है कि इस तरह के तंत्र से लाभ के लिए ईंधन आवंटन को संयंत्र दक्षता और पिट हेड संयंत्रों के इष्टतम उपयोग के आधार पर सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर तथा सबसे कम लागत वाली विद्युत खरीद सुनिश्चित करने के लिए संसाधन पर्याप्तता (आरए) कार्यढांचे की आवश्यकता है। संसाधन पर्याप्तता का उद्देश्य बेहतर उत्पादित मिश्रण के साथ लोड की आपूर्ति के लिए निर्दिष्ट विश्वसनीयता मानकों के साथ अनुमानित मांग को विश्वसनीय रूप से पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वर्तमान में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, आरए कार्यढांचे को, अन्य बातों के साथ-साथ, लचीले संसाधनों, ऊर्जा परिवर्तन के लिए भंडारण प्रणालियों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की सविरामता और परिवर्तनशीलता के प्रबंधन के लिए मांग-

प्रतिक्रिया उपायों की आवश्यकता को ध्यान में रखना अपेक्षित है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण देश के लिए संसाधन पर्याप्तता दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।

सीईआरसी ने प्रारूप संशोधन भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) प्रकाशित किया है जिसमें संसाधन पर्याप्तता योजना भी है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने "वर्ष 2029-30 के लिए बेहतर उत्पादन क्षमता मिश्रण अध्ययन" किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य न्यूनतम लागत की बेहतर विद्युत उत्पादन क्षमता मिश्रण का पता लगाना है, जिसकी आवश्यकता वर्ष 2029-30 तक विद्युत की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए हो सकती है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसरण में एक राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करने और पांच वर्ष में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। जैसा कि अधिनियम और नीति द्वारा अधिदेशित किया गया है, सीईए ने चौथा प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार की है जिसमें वर्ष 2017-22 के दौरान क्षमता वृद्धि की समीक्षा, वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए अल्पकालिक विस्तृत योजना एवं वर्ष 2027-32 की अवधि के लिए संदर्श योजना को शामिल है।

उपभोक्ताओं की विद्युत व्यय की लागत को कम करने के लिए वर्तमान बाजार तंत्र को फिर से डिजाइन करने के उद्देश्य से, बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण (एमबीईडी) के चरण 1 के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा, जिसमें केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों द्वारा अनिवार्य भागीदारी और अन्य उत्पादकों द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। सीईआरसी द्वारा एमबीईडी का चरण-1 कार्यान्वित किया जा रहा है।

सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) संबंधी संचालन को सीईआरसी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 के अपने आदेश द्वारा अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर एससीईडीके प्रचालन के परिणामस्वरूप अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2022 तक उत्पादन लागत में 2255 करोड़ रुपये की कमी आई है।

[विद्युत मंत्रालय, का. ज्ञा. सं. एफ सं.: 27/01/2022 - आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

समिति की टिप्पणियां
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 17 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 7)

<u>पॉइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) प्रभार</u>

समिति ने नोट किया है कि वार्षिक पारेषण प्रभारों की गणना सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के आधार पर की जाती है अथवा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर आधारित होती है। वार्षिक पारेषण प्रभारों को इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) के प्रयोक्ताओं से एक साझाकरण तंत्र के आधार पर वसूला जाना है जो कि वर्तमान में प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) तंत्र है। अंतर्निहित दूरी/दिशा और क्वांटम के कारण, ये पीओसी शुल्क विभिन्न इंजेक्शन/निकासी बिंदुओं के लिए भिन्न होते हैं। कई राज्यों ने पीओसी तंत्र को युक्तिसंगत बनाने की मांग की है क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव है। समिति इस विचार से सहमत है कि पारेषण मूल्य निर्धारण की विशेषता यह है कि पारेषण प्रभारों की पूर्ण वसूली की जानी चाहिए। इन शुल्कों के साझाकरण गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के आधार पर भुगतानकर्ताओं के अनुसार बदल जाएगा। इसलिए, एक आदाता के लिए शुल्क की किसी भी कमी से निश्चित रूप से अन्य आदाताओं के लिए शुल्क में वृद्धि होगी। इससे सभी हितधारकों को संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है।

इसलिए समिति चाहती है कि सरकार/सीईआरसी को इस मुद्दे की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पारेषण प्रणाली के बेहतर और इष्टतम उपयोग और 'वन-नेशन वन-ग्रिड' के सपने को उसकी वास्तविक भावना में साकार करने के लिए, हितधारकों से परामर्श करके केवल मेगावाट के उपयोग के आधार पर एक समान पारेषण प्रभार निर्धारित करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इस संबंध में,समय-समय पर सीईआरसी द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण नियंत्रित होता है। केंद्रीय आयोग ने प्वॉइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) प्रभारों के कार्यढांचे की समीक्षा के लिए श्री ए.एस.बख्शी (तत्कालीन सदस्य, सीईआरसी) की अध्यक्षता में दिनांक 10.7.2017 को

एक कार्यबल का गठन किया था। संदर्भ की शर्तें (टीओआर) अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा पीओसी तंत्र की प्रभावशीलता, मौजूदा तंत्र में कमी, यदि कोई हो, और विभिन्न हितधारकों के मुद्दों तथा चिंताओं के आलोक में मौजूदा तंत्र में आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए गंभीर रूप से जांच करने के लिए थीं। इस कार्यबल ने मार्च,2019 में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी।कार्यबल ने पारेषण मूल्य निर्धारण के लिए दो विकल्प अर्थात (क) वर्तमान पीओसी पद्धति में संशोधन और (ख) एक समान प्रभार पद्धति का सुझाव दिया।

आयोग ने बख्शी समिति की रिपोर्ट और भावी विद्युत परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रारूप नियमन तैयार करने के लिए मई, 2019 में श्री आई.एस. झा, सदस्य, सीईआरसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने प्रस्तावित प्रारूप विनियमों के साथ-साथ अगस्त 2019 में आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बख्शी समिति की रिपोर्ट और झा समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय आयोग ने, सार्वजनिक हितधारकों से किए गए परामर्शों के बाद, दिनांक 01.07.2020 को अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानि विनियमों के संशोधित साझाकरण को अधिसूचित किया, जो दिनांक 01.11.2020 से प्रभावी हुआ।

सीईआरसी (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार तथा हानियों का साझाकरण) विनियम 2020 ('2020 साझाकरण विनियम') को दिनांक 4.5.2020 को अधिसूचित किया गया है और इसे दिनांक 1.11.2020 से लागू किया गया है। वर्ष 2020 साझाकरण विनियमों को सीईआरसी द्वारा गठित समिति में भागीदारी, सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादक स्टेशनों, व्यापारियों आदि के लिए कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जनवरी 2020 के में अंतिम रूप दिया गया, जिसमें प्रारूप विनियमों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया ली गईं और दिनांक 29.01.2020 को जनसुनवाई की गई। अधिसूचित विनियमों के अनुसार, डीआईसी के लिए पारेषण प्रभारों में निम्नलिखित घटक होंगे:

क. राष्ट्रीय घटक (एनसी); राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत शामिल तत्वों को अखिल भारतीय अदाकर्ता डीआईसी और असम्बद्ध एलटीए के साथ अंतःक्षेपण करने वाले डीआईसी के बीच क्रमशः एलटीए प्लस एमटीओए और असम्बद्ध एलटीए की मात्रा के अनुपात में साझा किया जाएगा।
ख. क्षेत्रीय घटक (आरसी): क्षेत्रीय घटक के अंतर्गत शामिल तत्वों को क्षेत्रीय अदाकर्ता डीआईसी और असम्बद्ध एलटीए के साथ अंतःक्षेपण करने वाले डीआईसी के बीच

क्रमशः एलटीए प्लस एमटीओए और असम्बद्ध एलटीए की मात्रा के अनुपात में साझा किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर घटक (टीसी): इसमें संबंधित राज्य द्वारा विद्युत की निकासी के लिए योजनाबद्ध आईसीटी के वाईटीसी शामिल होंगे और संबंधित राज्य में स्थित डीआईसी द्वारा एलटीए + एमटीओए के अनुपात में साझा किया जाएगा।

ग. एसी प्रणाली घटक (एसीसी): इस घटक में, ऊपर शामिल किए गए मदों को छोड़कर, पारेषण प्रणाली के शेष वाईटीसी शामिल होंगे। इन्हें आगे दो घटकों में विभाजित किया गया है।

(एक) उपयोग आधारित घटक (एसी-यूबीसी): यह वाईटीसी का वह हिस्सा है जो डीआईसी द्वारा पारेषण लाइनों के संबंधित उपयोग के अनुसार साझा किया जाएगा।

(दो) शेष घटक (एसी-बीसी): इसमें एसी-यूबीसी के निर्धारित होने के बाद एसीसी से शेष बचे वाईटीसी शामिल होंगे और इसे निकासी डीआईसी और अंतःक्षेपण करने वाले डीआईसी द्वारा क्रमशः उनके एलटीए + एमटीओए और असम्बद्ध एलटीए के अनुपात में साझा किया जाएगा।

आयोग ने दिनांक 7.6.2022 को सीईआरसी (केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क तक पहुँच) विनियम, 2022 ('जीएनए विनियम') को भी अधिसूचित किया है। इस विनियम के साथ, ऐसे जीएनएके आधार पर पारेषण प्रभार लागू करने के लिए 2020 साझाकरण विनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

[विद्युत मंत्रालय का. ज्ञा. सं. एफ सं: 27/01/2022 - आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

<u>क्रास-सब्सिडी</u>

समिति ने नोट किया कि प्रशुल्क नीति में यह प्रावधान है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत आपूर्ति की लागत को दर्शाता है, उपयुक्त आयोग एक

रोडमैप को अधिसूचित करेगा ताकि टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के 20% के भीतर लाया जा सके। क्रॉस-सब्सिडी में क्रमिक कमी द्वारा रोड मैप से मध्यवर्ती उपलब्धियाँ भी हासिल करनी होंगी। आपूर्ति की औसत लागत के ±20% पर क्रॉस-सब्सिडी को सीमित रखने के संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और उनमें से अधिकांश ने लागत-परिलक्षित प्रशुल्क की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि न केवल एक बैंड के अंतर्गत क्रॉस-सब्सिडी को सीमित करने की आवश्यकता है, बल्कि डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इस मामले में और अधिक पारदर्शिता लाने की भी आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि एक ऐसी प्रणाली को अपनाने की संभावना की जांच की जाए जिसमें आधार प्रशुल्क सभी श्रेणियों के लिए 'आपूर्ति की औसत लागत' के बराबर है। तत्पश्चात् प्रशुल्क निर्धारण में सरलता और पारदर्शिता के लिए मामलों के आधार पर ±20% लागू किया जाता है। वैकल्पिक रूप से क्रॉस-सब्सिडी की प्रणाली को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाने हेतु लाभार्थी के खाते में सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की भी जांच की जा सकती है।

सरकार का उत्तर

विद्युत अधिनियम, 2003 में यह प्रावधान है कि क्रॉस सब्सिडियों को राज्य आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट तरीके से उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए । टैरिफ नीति, 2016 यह निर्धारित करती है कि, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत आपूर्ति की लागत को दर्शाए, उपयुक्त आयोग एक रोडमैप अधिसूचित करेगा जिससे टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के ± 20% के भीतर लाया जा सके। क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक कमी के आधार पर रोड मैप में मध्यवर्ती लक्ष्य भी होंगे। क्रॉस-सब्सिडी का परिणाम यह भी है कि यह उद्योगों के लिए टैरिफ बढ़ाता है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है।

एक विकल्प के रूप में, टैरिफ नीति, 2016 यह मानती है कि सभी को में टैरिफ की क्रॉस सब्सिडी प्रदान करने की तुलना में निम्नतर श्रेणियों के उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करना एक बेहतर तरीका है।

विद्युत नियमों में यह प्रावधान लाने के लिए संशोधन का यह प्रस्ताव है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप-धारा (1) (क) के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित अधिभार, औसत आपूर्ति लागत के 20% से अधिक नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधित टैरिफ नीति, जो वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है, में यह प्रावधान है कि सम्बद्ध आयोग किसी भी सब्सिडी घटक को ध्यान में रखे बिना ही टैरिफ का निर्धारण करेगा। उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी को दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में अथवा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास उनके उपभोक्ता खाते में भेजी जाएगी, जिसे उपभोक्ता के विद्युत बिल में दर्शाया जाएगा।

[विद्युत मंत्रालय का. ज्ञा. सं. एफ सं: 27/01/2022 - आर एंड आर दिनांक 25.10.2022]

सिफारिश संख्या (क्रम संख्या 9)

<u>टैरिफ श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाना</u>

समिति ने पाया है कि विगत कुछ वर्षों में राज्यों में प्रशुल्क संरचना बहुत जटिल हो गई है और उपभोक्ता प्रशुल्क श्रेणियों की संख्या बेवजह बहुत अधिक है। इस संबंध में, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक पृथक्कृत श्रेणी में प्रशुल्कों की अत्यधिक जटिलता उपभोक्ताओं को मूल्य जानकारी को संसाधित करने की उच्च लागत के कारण टैरिफ को पूरी तरह से समझने (रिस्पोंडिंग) से रोकती है। इसके अलावा, इस तरह के वर्गीकरण करने का आधार पूरे देश में एक समान नहीं रहा है। समिति ने यह भी नोट किया है कि विद्युत मंत्रालय ने उपभोक्ता श्रेणियों के सरलीकरण और टैरिफ संरचना को युक्तिसंग बनाने के लिए उपाय सुझाने के लिए समिति का भी गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर पांच प्रमुख श्रेणियों अर्थात् घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत में सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की थी। इन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत, वोल्टेज के आधार पर उपभोक्ताओं को उप-श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया था। घरेलू श्रेणी के भीतर तीन उपश्रेणियां हो सकती हैं अर्थात् क्रॉस-सब्सिडाइजिंग, क्रॉस-सब्सिडाइज्ड और क्रॉस-सब्सिडी तटस्थ। इसके अलावा, इस श्रेणी में एक जीवन रेखा श्रेणी हो सकती है और गैर-मीटर, ग्रामीण और शहरी श्रेणियों को धीरे-धीरे समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि उपभोक्ताओं के लिए उप श्रेणियों को कृषि और कृषि-संबद्ध श्रेणियों में समेकित किया जाए और बिना मापे हुए उपभोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उद्योग श्रेणी के लिए, उद्योगों के एक चुनिंदा समूह की सुविधा के लिए एक पृथक "समर्थित" श्रेणी बनाई जा सकती है।

समिति का विचार है कि देश भर में टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने से न केवल टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी बल्कि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी आएगी क्योंकि केवल लक्षित और पात्र समूह को ही आवश्यक लाभ मिलेगा। अत: समिति का मत है कि प्रशुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए उक्त प्रस्ताव प्रशुल्क नीति का हिस्सा बन सकता है और राज्यों को इसे ईमानदारी से कार्यान्वित करने के लिए राजी किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि केन्द्र सरकार को उन राज्यों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन्हें कुछ व्यावहारिक कारणों से इसे कार्यान्वित करने में कठिनाई हो सकती है।

सरकार का उत्तर

विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (3) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के अधीन टैरिफ का निर्धारण करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित प्राथमिकता नहीं देगा किंतु उपभोक्ता के भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टेज और किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत या वह समय जिसमें आपूर्ति अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति , आपूर्ति की प्रकृति और वह प्रयोजन जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित है, के अनुसार भेद कर सकेगा। तदनुसार, राज्य आयोगों द्वारा खुदरा टैरिफ निर्धारित किए जाते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 (छ) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग इस उद्देश्य से निर्देशित होगा कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत आपूर्ति की कुशल तथा विवेकपूर्ण लागत को प्रतिबिंबित करता है। राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उस सीमा तक सब्सिडी दे सकती हैं, जहां तक वे उपयुक्त समझती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों को इसके लिए डिस्कॉमों को मुआवजा देने की आवश्यकता होती है।

सरकार पावर एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। पावर एक्सचेंजों में दिन के एक विशिष्ट समय ब्लॉक के लिए समान टैरिफ प्रदान किया जाता है। तदनुसार, एक सीमा तक, पावर एक्सचेंजों से वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी गई विद्युत के लिए, बाजार बंटवारे के मामले को छोड़कर, विद्युत की कीमत एक समान रहती है।

सरकार द्वारा टैरिफ संरचना के सरलीकरण और युक्तिकरण की आवश्यकता को पहचाना गया है। टैरिफ संरचना को सरल बनाने के लिए, वर्तमान में सरकार के विचाराधीन, संशोधित प्रारूप टैरिफ नीति में निम्नलिखित प्रस्तावित है:

क) विद्युत की कीमत विद्युत की आपूर्ति लागत पर आधारित होनी चाहिए जो मुख्य रूप से आपूर्ति की वोल्टेज, कनेक्टेड लोड और खपत की गई ऊर्जा पर निर्भर करती है।

ख) अस्थायी आपूर्ति के लिए कोई व्यक्तिगत श्रेणी/उपश्रेणी निर्धारित नहीं की जाएगी। ऐसी आपूर्ति उस श्रेणी के लिए आपूर्ति की लागत के निश्चित गुणक पर प्रदान की जा सकती है।

ग) टैरिफ में निश्चित प्रभार घटक को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की राजस्व आवश्यकता में निश्चित लागत के वास्तविक हिस्से को उत्तरोत्तर दर्शाना चाहिए।

घ) सरलीकृत वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए, मौजूदा श्रेणियों/उप-श्रेणियों और स्लैबों के विलय की प्रक्रिया उत्तरोत्तर की जाएगी।

ङ) इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो, तो ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. एफ.सं. 27/01/2022 – आरएंडआर दिनांक 25.10.2022]

सिफारिश संख्या (क्रम संख्या 11)

<u>एटीएंडसी हानियों में कमी</u>

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2018-19 के लिए, एसीओएस और एआरआर क्रमशः 6.15 रुपये/केडब्ल्यूएच और 5.55 रुपये/केडब्ल्यूएच थे, जिसमें उदय अनुदान और नियामक आय के बिना ₹ 0.60 किलोवाट (एसीओएस का 9.75%) का अंतर था। समिति ने आगे नोट किया कि उक्त अवधि के लिए एटीएंडसी हानि 21.74% थी। यदि एटीएंडसी हानि में आधी कमी भी आ जाती है, तो डिस्कॉम्स वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो जाएंगे। समिति को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार भी कम सफलता के साथ वर्षों से एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए प्रयास कर रही है क्योंकि यह अभी भी लगभग 21% के स्तर पर है और कुछ राज्यों में यह 60% तक अधिक है। समिति को इस बात की जानकारी है कि विद्युत का वितरण राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए एटीएण्डसी हानियों को कम करने के लिए उनका संकल्प और सक्रिय भागीदारी समान रूप से महत्वपूर्ण है। समिति ने अतीत में एटीएंडसी हानियों पर विषय की गहराई से जांच की थी और पाया था कि तकनीकी हानियों के थोड़े हिस्से के साथ मुख्य रूप से वाणिज्यिक हानियां और चोरी होती हैं। समिति ने यह भी पाया था कि एटीएण्डसी हानियों में कमी भी

एक प्रशासनिक मुद्दा है और यह राज्यों/डिस्कॉम के प्रबंधकीय हस्तक्षेपों पर काफी हद तक निर्भर करता है। केन्द्र सरकार आरपीडीआरपी, ए-आरपीडीआरपी, आईपीडीएस और उदय स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा अपना काम कर रही है। तथापि, आईपीडीएस के अंतर्गत प्रदान किए गए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) डिस्कॉम्स को यह जानने में सक्षम बनाता है कि समस्या कहां है और क्या करना है। लेकिन अंतत डिस्कॉम्स को इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रबंधकीय कार्रवाई करनी होगी।

समिति की दृष्टि में, सख्त उपाय करके एटीएंडसी हानि को तेजी से कम करने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि इससे न केवल राजकोष पर बोझ कम होगा बल्कि बिजली बिलों में कमी के रूप में ईमानदार उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। इसलिए, समिति चाहती है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए अनुरोध करना चाहिए और इस हेतु उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि एटीएंडसी हानियों को कम करने के संबंध में सफलता की कहानियों का प्रचार किया जाना चाहिए और डिस्कॉम्स के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी को भी आम आदमी के कार्यकाल में प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि जनता भी इसके बारे में जागरूक हो सके।

सरकार का उत्तर

उच्च एटीएंडसी हानियों का कारण मुख्य: प्रबंधकीय कमियां हैं। ये हानियां मुख्य रूप से खराब बिलिंग और संग्रहण क्षमता; राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत देय राशियों का भुगतान न करने; राज्य सरकार द्वारा उनके द्वारा घोषित सब्सिडियों का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के कारण हैं।

भारत सरकार ने एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) जैसी सरकारी योजनाओं के हस्तक्षेप के माध्यम से विगत में कई कदम उठाए हैं जो वित्तीय हानियों के प्रमुख कारणों में से एक है। इन स्कीमों के तहत हस्तक्षेपों में फीडर पृथक्करण, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकी (ओटी) उपाय जैसे स्काडा, डीएमएस, ईआरपी और फीडर की दूरस्थ निगरानी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों को उनकी हानियों को कम करने में सहायता देने के लिए निम्नलिखित पहल की है:

(i) भारत सरकार ने एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर को कम करने के लिए राज्यों द्वारा विश्वसनीय कार्य योजना से जुड़ी लिक्विडिटी निषेचन स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों के विद्युत देय राशियों के भुगतान के लिए डिस्कॉमों को देय भुगतानों को परिसमाप्त करने और सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों आदि में स्मार्ट प्रीपेड मीटर संस्थापित करने की वचनबद्धता देना अपेक्षित है। राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षित है कि सब्सिडियों की देय राशियों का निपटान करने की वचनबद्धता देना और एक ऐसी प्रणाली संस्थापित करना कि सब्सिडियों के बिल डिस्कॉमों द्वारा बनाए जाएंगे तथा प्रत्येक तिमाही में उनका भुगतान किया जाएगा, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए राज्य सरकार की प्रति यूनिट खपत की सब्सिडी को अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर को कम करने से जुड़े प्रत्येक राज्य जीएसडीपी के 0.05% की सीमा तक अतिरिक्त उधार अनुमतियां प्रदान की हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने वित्तीय रूप से संधारणीय और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम" अनुमोदित की है। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर को वर्ष 2024-25 तक शून्य तक लाना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत, पात्र डिस्कॉमों को नेटवर्क के लिए वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के उन्नयन के साथ-साथ सुधारों की शुरुआत तथा परिणामों की उपलब्धि से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के उन्नयन के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कोई डिस्कॉम यदि घाटे में चल रहा है, तो वह इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, जब तक कि वह हानियों को कम करने के लिए एक स्कीम तैयार न कर ले, इस तरह की हानियों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और इसकी समयसीमा को सूचीबद्ध न कर ले और इस पर अपनी राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त न कर ले तथा इसे केंद्र सरकार के पास दर्ज न कर ले।

प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आरडीएसएस के अंतर्गत परिकल्पित महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है। इस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप ने 23,000 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता सहित 1,50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया है और इस स्कीम की अवधि के दौरान 25 करोड़ प्रीपेड उपभोक्ता स्मार्ट मीटर संस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, डीटी स्तर के साथ-साथ फीडर स्तर पर सिस्टम मीटरिंग के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना से डिस्कॉमों को किसी भी मानव इंटरफेस के साथ सभी स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह के सटीक माप को मापने में सुविधा होगी। उचित और सटीक ऊर्जा लेखांकन चोरी की जाने वाले स्थलों और उच्च हानि क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है; एतदद्वारा आरडीएसएस के अंतर्गत भारत सरकार के साथ पहले से सहमत/प्रतिबद्ध ट्रेजेक्ट्रियों के अनुसार एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए डिस्कॉमोंको सुविधा होगी। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 1,15,493.79 करोड़ रुपये की स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 17,34,39,869 प्रीपेड स्मार्ट मीटर, 49,02,755 डीटी मीटर और 1,68,085 फीडर मीटर की संस्थापना शामिल है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26.02.2021 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों से स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटरों/प्री-पेमेंट मीटरों को लगाने के लिए एक रूप रेखा तैयार करने का अनुरोध किया है। साथ ही विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 17.08.2021 को मौजूदा मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने की समयसीमा अधिसूचित की।

इसके अलावा, आरडीएसएस के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने का भी प्रावधान किया गया है। इन उन्नत प्रोद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के साथ आईटी/ओटी उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए डिस्कॉमों की हानियों में कमी, मांग पूर्वानुमान, परिसंपत्ति प्रबंधन, टाईम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) एकीकरण और अन्य भावी विश्लेषण के लिए टैरिफ पर सुविज्ञ निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

उपर्युक्त उपायों के साथ, आगे चलकर, डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के साथ-साथ एटीएंडसी हानि कम हो जाएंगी; जिससे देश भर

के सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और सस्ती विद्युत उपलब्ध हो सकेगी।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. एफ.सं. 27/01/2022 – आरएंडआर दिनांक 25.10.2022]

सिफारिश (क्रम संख्या 12)

समिति ने पाया है कि बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने का कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। अब, इसका उद्देश्य भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एक संयुक्त पहल 'सभी को **24x7** बिजली' प्रदान करना है। समिति का विचार है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिस्कॉम्स की वित्तीय व्यवहार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, यह सर्वोपरि महत्व का है कि ईमानदार उपभोक्ताओं को उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। समिति का यह भी मानना है कि वितरण क्षेत्र को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि हम आम आदमी पर बोझ बढ़ाए बिना धीरे-धीरे किफायती प्रशुल्क की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। समिति चाहती है कि बेहतर पारदर्शिता के लिए डिस्कॉम के लिए लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधार और सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को अपने लोड के एक हिस्से को पीक टाइम से ऑफ-पीक टाइम में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने और परिणामतः पीक अवधि के दौरान सिस्टम में मांग को कम करके सिस्टम लोड फैक्टर में सुधार करने हेतु एक महत्वपूर्ण 'डिमांड साइड मैनेजमेंट' (डीएसएम) उपाय के रूप में 'टाइम ऑफ डे' (टीओडी) टैरिफ जैसे उपाय को लागू किया जाना चाहिए। अतः इसे डिस्कॉम्स द्वारा अपने खर्चों को कम करने और उत्पादन संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लागू किया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (3) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के अधीन टैरिफ का निर्धारण करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधिमान दर्शित नहीं करेगा किंतु उपभोक्ता के भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टेज और किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत या वह समय जिसमें आपूर्ति अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति , आपूर्ति की प्रकृति और वह प्रयोजन जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित है, के अनुसार भेद कर सकेगा। तदनुसार, राज्य आयोगों द्वारा खुदरा टैरिफ निर्धारित किए जाते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 (छ) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग इस उद्देश्य से निर्देशित होगा कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत आपूर्ति की दक्ष तथा विवेकपूर्ण लागत को प्रतिबिंबित करता है। राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार उस सीमा तक सब्सिडी दे सकती हैं, जहां तक वे उपयुक्त समझती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों को इसके लिए डिस्कॉमों को मुआवजा देने की आवश्यकता होती है।

सरकार वितरण क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ क्रॉस सब्सिडियों को औसत आपूर्ति लागत के ± 20% के भीतर लाने पर आम आदमी पर बोझ बढ़ाए बिना किफायती प्रशुल्त बनाए रखने पर ज़ोर दे रही है। इसे राज्य सरकारों और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा लागू किए जाने की आवश्यकता है।

यह टैरिफ नीति, 2016 अलग-अलग निश्चित तथा परिवर्तनशील प्रभारों तथा समय विभेदित टैरिफ की विशेषतायुक्त दो-भाग वाले टैरिफ पर जोर देती है। इसके साथ-साथ, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 में किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 61 में संशोधन की अपेक्षा है, जो विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने 7 अक्तूबर, 2021 को डिस्कॉमों में ऊर्जा लेखी लंपरीक्षा करने के लिए एक विनियम अधिसूचित किया। इस अधिसूचना के अनुसार, सभी डिस्कॉमों द्वारा पर्याप्त रूप से योग्य कर्मियों के साथ आवधिक ऊर्जा लेखांकन, वार्षिक ऊर्जा लेखा संपरीक्षा, केंद्रीकृत ऊर्जा लेखांकन और लेखा संपरीक्षा प्रकोष्ठ का सृजन करना अनिवार्य है। ऊर्जा लेखांकन और परिणामी वार्षिक ऊर्जा लेखा संपरीक्षा उच्च हानि और चोरी के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगी, और उसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

टैरिफ नीति, 2016 में यह अधिदेशित है कि मीटरिंग एबीटी अपेक्षाओं के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे टाईम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ के कार्यान्वयन में भी सुविधा होगी। प्रस्तावित संशोधित टैरिफ नीति में, यह प्रावधान है कि बड़े उपभोक्ताओं (जैसे, 1 मेगावाट से अधिक की मांग वाले उपभोक्ता) के लिए तीन वर्ष के भीतर और बाद में सभी उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकता पर समय विभेदित (टाईम ऑफ डे) टैरिफ प्रस्तुत किया जाएगा। यह व्यस्ततम भाग को एक समान बनाए रखने और विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करने में भी मदद करेगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. एफ.सं. 27/01/2022 – आरएंडआर दिनांक 25.10.2022]

अध्याय-तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

- शून्य -

अध्याय-चार

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता है:

सिफारिश (क्रम संख्या 10)

<u>कृषि फीडर पृथक्करण</u>

समिति नोट करती है कि फीडर पृथक्करण 24x7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने और डिस्कॉम/विद्युत विभागों में एटीएंडसी हानि में सुधार करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समिति को इस बात की जानकारी है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करने के लिए एक घटक है। फीडर पृथक्करण में मुख्य रूप से मौजूदा मिश्रित श्रेणी के फीडरों (जो कृषि उपभोक्ताओं सहित सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करते हैं) को कृषि और गैर-कृषि फीडरों में अलग करना शामिल है।

देश में फीडर पृथक्करण की स्थिति के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगभग 1,64,057 ग्रामीण फीडर हैं। इनमें से कुल 62,193 फीडर (37.91%) कृषि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार चल रही डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत 4,697 फीडरों को अलग किया गया है। ये कृषि फीडर मुख्य रूप से कृषि उपभोक्ताओं के साथ अलग-अलग फीडर हैं। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के तहत 166 फीडर की शेष राशि है जो सुलह के अधीन हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि फीडरों का पृथक्करण राज्यों/डिस्कॉम द्वारा की जाने वाली एक सक्रिय प्रक्रिया है। समिति ने पाया कि फीडरों के पृथक्करण से डिस्कॉम्स को घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली बाधित किए बिना कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करने में सुविधा होगी। इसलिए, समिति का विचार है कि इस प्रणाली से उपभोक्ताओं के साथ-साथ डिस्कॉम्स को भी लाभ होगा क्योंकि कृषि क्षेत्र को सहायक दर पर बिजली मिल सकती है और राज्य सरकारें/डिस्कॉम्स मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) का सहारा लेकर अपनी विद्युत अधिप्राप्ति लागत को युक्तिसंगत बना सकती हैं। इसलिए, समिति सरकार से यह सिफारिश करती है कि वह फीडर पृथक्करण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य की मात्रा का आकलन करने के लिए राज्य के साथ सक्रिय रूप से जुड़े, लागत-लाभ विश्लेषण करके उन्हें इसे शीघ्रता से निष्पादित करने हेतु और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करे।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में पूरे देश में कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं और गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरूआत की। 1,12,754.67 (सीकेएम) को शामिल करने वाले फीडर पृथक्करण कार्यों सहित कार्य पूरे हो चुके हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, 208,522(सीकेएम) को शामिल करने वाले कृषि फीडर पृथक्करण कार्य पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। जब भी राज्य और उनके डिस्कॉम विद्युत मंत्रालय को अपनी डीपीआर प्रस्तुत करेंगे, तब और अधिक फीडर पृथक्करण कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संचारयोग्य स्मार्ट फीडर मीटरों का उपयोग करके सभी कृषि फीडरों में मीटर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, यह भी उल्लेख किया गया है कि आरडीएसएस के अंतर्गत, कुसुम स्कीम के साथ-साथयह भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कृषि फीडरों के एक बार पृथक्करण के बाद, उन्हें भी सौरीकृत किया जाएगा, जो कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत पर राज्यों के सब्सिडी के बोझ को कम करने में मदद करेगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. एफ.सं. 27/01/2022 – आरएंडआर दिनांक 25.10.2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 20 देंखें)

अध्याय-पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

- शून्य –

नई दिल्ली
दिसम्बर, 2022
अग्रहायण, 1944 (शक)

जगदम्बिका पाल
सभापति,
उर्जा संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-दो

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(i)	सिफारिशों की कुल संख्या	12
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: क्रम सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 और 12	
	कुल:	11
	प्रतिशत:	91.7%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है: - शून्य -	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00%
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: क्रम सं. 10	
	कुल:	01
	प्रतिशत:	8.3%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: - शून्य -	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00%